पत्रांक–23 / सा0प्र0–आ0नि0–02–01 / 2017, सा०प्र०.................... /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम विशुन राय,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, गृह विभाग,
निर्वाचन विभाग, उद्योग विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग,
गन्ना उद्योग विभाग, अनु0 जा0 एवं अनु0 ज0जा0 कल्याण विभाग,
पर्यटन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, वाणिज्य–कर विभाग,
लघु जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–.........................

विषयः– **राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में महिलाओं को देय 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक 10924 दिनांक– 13.08.18।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाये। राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में महिलाओं को देय 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सम्यक अनुश्रवण एवं बेव पोर्टल पर संदर्भित आंकड़ों की प्रविष्टि की समीक्षा हेतु सभी संपर्क पदाधिकारियों / नोडल पदाधिकारियों की बैठक (दिनांक 24.08.18) को आहुत की गई थी। उक्त बैठक में आपके विभाग से संबंधित नोडल पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गए। विदित हो कि **"आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार"** योजना माननीय मुख्यमंत्री के सात योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है।

आपके विभाग द्वारा इस कार्य के प्रति उदासीनता अत्यंत ही दुखद है। अतः कार्य की महत्ता को देखते हुए अनुरोध है कि अपने विभाग से दिनांक– 15.02.2016 से अभी तक राज्याधीन सेवाओं की नियुक्तियों में महिला आरक्षण के आंकड़ों को बेव पोर्टल (http://wrmis.bihar.gov.in) पर Online प्रविष्टि दिनांक– 20.09.18 तक सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(राम विशुन राय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–23 / सा0प्र0–आ0नि0–02–01 / 2017, सा०प्र०..11925../ पटना–15, दिनांक...6.9.18

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।